

55/2024

21/2/2024

वकील जार्जी अडपरिव्यत हैं। जार्जीगण स्वयं भी अनु-
परिव्यत हैं। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी
उपरिव्यत नहीं हैं। बार-बार आवाने लगवाई गई।
परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपरिव्यत नहीं
हुये। अतः राजस्व जार्जना - एवं अदम धजरी अदम
पैश्वी में खारिज किया जाता है। फावली फेंतल
शुमार से। नम्बर सेडम डेकर वाखिल 6फतर
वा।

SDO, BHIMAD
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)